रायगढ़ के जशपुर नगर में आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण केन्द्र और कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किया जाना

3010. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण केन्द्र और कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या रायगढ़ जिले के जशपुर नगर में ये केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है; यदि हां, तो ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे;

(ग) क्या जशपुर नगर में ये केन्द्र स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम): (क) 1995-96 के दौरान चालू की गई आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं और 1996-97 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को विवरण में दर्शाया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) से (घ) हालांकि आकाशवाणी का जशपुर नगर में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, दूरदर्शन ने जिला रायगढ़ के जशपुर नगर में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले ही 27.6.96 को चालू कर दिया है।

विवरण

आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	चालू करने का वर्ष/पूरा करने की संभावित तारीख
	आकाशवाणी	
1.	ग्वालियर में 10 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर का 20 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापन एवं उन्नयन*	1995-96
2.	जगदल पुर में 20 कि.वा.मी. वे ट्रांसमीटर का 100 कि.वा.मी. वे शक्ति से प्रतिस्थापन एवं उन्नयन†	1996-97
3.	जबलपुर में 10 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर सी.बी.एस. के लिए एवं प्लेबेक स्टूडियो।	1996-97
	दूरदर्शन	
1.	कार्यक्रम निर्माण सुविधा रायपुर*	1995-96
2.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर अशोक नगर,* मैहर,* राघोगढ़,* खुरई,* सिरोंजी,* कुकडेश्वर,* जनेहर।	1995-96
	बड़ा मालेहरा,* गारोट,†सारनगढ़†	1996-97
	कानपुरा,† सीतामन,† पिपरियां,†	1996-97
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर-बुधनी*	1995-96
	पाखनजोर,* जशपुर नगर,* कोन्डा गांव,*	1996-97
	गारडेरवाड़ा, शक्ति, केलारस,* नारायण पुर*	1996-97
	सिगरौली-कॉलली बेल्ट	1996-97
	डायमंड-माइनिंग प्रोजेक्ट,† बीजापुर†	
	चालू कर दी गई है*	
	पूरा होने की आशा है*	
	तकनीकी रूप से तैयार है*	

Entertainment allowance to officers of SBI

3011. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that entertainment allowance is provided to the officers above JMGS-II and Field Officers and Accountants only of JMGS-I, in the State Bank of India;

(b) the reasons for not providing entertainment allowance to all the officers irrespective of their designations in the JMGS-I;

(c) whether it is a fact that officers with other designations in JMGS-I also have to deal with public, other than Field Officers and Accountants; and

(d) whether the bank management propose to provide entertainment allowance to all officers of the JMGS-I irrespective of their designations?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) State Bank of India (SBI) has reported that the facility of re-imbursement of entertainment expenditure is provided to officers in the middle, senior management and top executive grades and to the following categories of officers:—

(1) Branch Managers/Divisional Managers/Lead Bank Officers/District Coordinator and Rural Development Managers in JMGS-I;